कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 521 /11–सी–FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊः दिनांकः सितम्बर 05,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे0 आरक्षित वनभूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–794/मी0क्षे0/33, दिनांक–21.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:–

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है तथा पैरा 'a' के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
3. प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
4. प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है किन्तु प्रत्येक पृष्ठ पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु मूल में नहीं है तथा kml file की सीडी भी संलग्न नहीं की गयी है।
6. ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की SoI Toposheet के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि की SoI Toposheet अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iv) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित SoI Toposheet अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।
8. प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरांत बढी हुयी धनराशि के भुगतान करने की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
9. ऑनलाइन भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.8 तथा हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व शून्य अंकित किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करते हुये संशोधित भाग–2 संलग्न करें तथा तद्नुसार NPV की दर से NPV की गणना प्रस्ताव में संलग्न की जायें।
10. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु सहमति अवधि दिनांक 31.12.2017 को समाप्त हो चुकी है। अतः संशोधित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न है किन्तु चिन्हित नहीं है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा फार्म–A का पार्ट–1 व फार्म–B का पार्ट–1 अपलोड कर संलग्न किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः इस स्थिति को स्पष्ट करते हुये उचित पार्ट–1 संलग्न करें।
13. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः उचित डाटा फीड करते हुये संशोधित ऑनलाइन भाग–2 प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न करें।
14. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iii) में क्षतिपूरक वृक्षारोण के Geo Referenced Digital Map के स्थान पर SoI Toposheet अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड करें।

Acy-2250

आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अत्यन्त लापरवाही दिखाते हुये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका परीक्षण मण्डल स्तर से भी नही किया गया है। इससे न केवल अनावश्यक समय की बरबादी होती है, अपितु राजकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब भी होता है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– **FP/UP/Trans/18048/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. सहायक महाप्रबन्धक, मै0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूकूट–सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।